तामील अप्रार्थी सं० 2 की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया है। अत: अप्रार्थी सं० 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी-अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हो चुका है। अत: प्रकरण का आज ही गुणावगुण पर निस्तारण फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, दस्तावेजात व राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजात यथा जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम "भगवानाराम पुत्र माधुराम" दर्ज है तथा विवादित आराजी की सह खातेदार ने भी प्रार्थी का सही नाम "भगवानाराम पुत्र माधुराम" होना अभिकथित करते हुए राजीनामा पेश किया है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:-

## निर्णय

तन ग्राम गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 365 ता 366 में प्रार्थी का दर्ज नाम "भगवानसहाय पुत्र महादेव" के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम "भगवानाराम पुत्र माधुराम" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक २२/०१/२०२१ को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(राकेश कुमार)<br>RAS<br>उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट)<br>खण्डेला (सीकर) | |

Scanned with CamScanner